



Neutral Citation No. - 2026:AHC:8891

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या - 15188 वर्ष 2025

शीलूआवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्यविपक्षी पक्ष

आवेदक के अधिवक्ता : राजेश कुमार विश्वकर्मा विपक्षी पक्ष के अधिवक्ता : दीपक दुबे, शा.अधि.

न्यायालय संख्या - 66

माननीय न्यायमूर्ति कृष्ण पहल

1. वाद-सूची की पुनः पुकार कराई गई है।
2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री राजेश कुमार विश्वकर्मा, सूचनादाता के विद्वान अधिवक्ता श्री दीपक दुबे तथा राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री डी.के. सिंह को सुना गया तथा अभिलेख पर रखी गई सामग्री का अवलोकन किया गया।
3. वर्तमान जमानत आवेदन आवेदक द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 605 वर्ष 2024, धारा 103(1), 61(2), 3(5) BNS तथा 4/25 शस्त्र अधिनियम, थाना दादरी, जिला गौतम बुद्ध नगर में जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दाखिल किया गया है।
4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने कहा है कि आवेदक का नाम एफआईआर में नहीं है। उसका नाम अन्वेषण के दौरान बाद में सामने आया है। सीसीटीवी फुटेज अस्पष्ट है। चौकीदार महेंद्र और कुनाल का बयान भी विश्वास उत्पन्न नहीं करता। मरीज पुनीत एक हितबद्ध साक्षी है, अतः आवेदक जमानत पाने का अधिकारी है। आवेदक दिनांक 13.12.2024 से जेल में है और विचारण में सहयोग करने के लिए तैयार है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।
5. इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता और सूचनादाता के विद्वान अधिवक्ता ने जमानत आवेदन का इस आधार पर बलपूर्वक विरोध किया है कि आवेदक को एक मरीज पुनीत और दो चौकीदारों महेंद्र और कुनाल द्वारा मृतक के साथ देखा गया था। इसके अतिरिक्त, सीसीटीवी फुटेज भी है जिसमें आवेदक एवं तीन अन्य सह-अभियुक्त व्यक्तियों, यथा बृजेंद्र @ काल्ले, लकी और मोहित रावल को मृतक पर हमला करते देखा गया था, अतः आवेदक जमानत पाने का अधिकारी नहीं है।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



6. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने के पश्चात और मरीज तथा चौकीदारों के बयान को ध्यान में रखते हुए, तथा इस तथ्य के साथ कि सीसीटीवी फुटेज से वर्तमान मामले में आवेदक की संलिप्तता प्रकट होती है, मैं इसे आवेदक को जमानत देने का उचित मामला नहीं मानता। जमानत आवेदन गुणहीन पाया गया है और तदनुसार अस्वीकार किया जाता है।
7. तथापि, यह निर्देश दिया जाता है कि विचारण न्यायालय के समक्ष लंबित उक्त मामले का यदि कोई विधिक बाधा न हो तो सर्वोच्च न्यायालय के विनोद कुमार बनाम पंजाब राज्य; 2015 (3) SCC 220 तथा हुसैन एवं अन्य बनाम भारत संघ; (2017) 5 SCC 702 के मामलों में निर्धारित हालिया निर्णयों के सिद्धांत के दृष्टिगत यथाशीघ्र निर्णीत किया जाए।
8. यह स्पष्ट किया जाता है कि यहां की गई टिप्पणियां केवल जमानत आवेदन के निस्तारण के संबंध में पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत तथ्यों तक सीमित हैं और उक्त टिप्पणियों का विचारण के दौरान मामले के गुणदोष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(न्यायमूर्ति कृष्ण पहल) 13 जनवरी, 2026 शालिनी

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"